न्यायालय, सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती मधुलिका सींवर, आर0ए0एस0

राजस्व प्रा0 पत्र सं0 : 40/2020

GCMS NO. : 2020/00083

–:: सायला ::–

1. पदमा पुत्री बाबूजी
जाति कुम्हार निवासी टूंकडा
तहसील जैतारण।

बनाम

–:: गैरसायलान ::–

1. उमेश राणा पुत्र सुल्तानसिंह
जाति जाट निवासी 736, सरस्वती पुरम जे.एन.यू. नई दिल्ली हाल घांचियों का बास जैतारण जिला पाली।
2. बाबू पुत्र धन्नाजी
3. ढगलाईदेवी पत्नी बाबूजी
4. धर्माराम पुत्र बाबूजी
5. कानाराम पुत्र बाबूजी
6. नौरतराम पुत्र बाबूजी
7. कालूराम पुत्र बाबूजी
8. घनश्याम पुत्र बाबूजी
9. पिस्तादेवी पुत्री बाबूजी
10. रेखादेवी पुत्री बाबूजी
जातियान कुम्हार निवासीगण टूंकडा तहसील जैतारण जिला–पाली।

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी.

तारीख रजू: 06/08/2020

उपस्थितः. 1. श्री महेन्द्र प्रजापत बलून्दा, अधिवक्ता, प्रार्थीया।

–:: निर्णय : **दिनॉकः 21/12/2021**

वकील मय प्रार्थीया ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा टूंकडा, पटवारी हल्का टूंकडा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र बलाड़ा, तहसील जैतारण, जिला पाली राजस्थान के खसरा नम्बर 126 रकबा 08–12 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 127 रकबा 15–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 129 रकबा 04–13 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 188 रकबा 11–05 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 193 रकबा 04–16 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 05 कुल रकबा 44–08 बीघा की आई हुई है। जिसमें खसरा नम्बर 126 रकबा 08–12 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 127 रकबा 15–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल विवादित आराजी के नाम से जानी जायेगी। नकल प्रमाणित जमाबंदी संवत 2073 से 2076 के साथ पेश है जिसके वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गैरसायल संख्या 2 अकेले का नाम इन्द्राज है, जबकि उक्त भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

पर सायला व गैरसायल संख्या 3 से 10 का मौके पर कब्जा काश्त है तथा उक्त कृषि भूमि पैतृक पुश्तैनी सामलाती कृषि भूमि है तथा वर्तमान में सायला व गैरसायलान संख्या 3 से 10 ने उक्त कृषि भूमि में ज्वार व मूंग की फसल बो रखी है। जिसके फोटोग्राफ साथ पेश है। उपरोक्त समस्त भूमि धन्ना पुत्र किशना कौम कुम्हार जो सायला के दादा व गैरसायल संख्या 2 के पिता तथा गैरसायल संख्या 3 के ससुर तथा गैरसायल संख्या 4 से 10 के दादा थे जिसकी वंश वृक्षावली प्रार्थना पत्र में अंकित है। उपरोक्त वंश वृक्षावली से स्पष्ट साबित है कि सायला के दादा धन्ना पुत्र किशना जी थे। इस प्रकार सायला का जन्मतः बाई बर्थ ही धन्नाजी की पैतृक आराजी में हक, हिस्सा, अधिकार प्राप्त हो गया है। उपरोक्त भूमि धन्ना पुत्र किशना के खातेदारी की थी। जिसका इन्द्राज जमाबंदी संवत् 2036 से 2039 में है। जो जमाबंदी की प्रमाणित प्रति साथ पेश है। धन्नाजी के फौत होने पर उनका फौतेदगी नामान्तरकरण गैरसायल संख्या 2 बाबू के नाम ही भरा गया। उक्त खातेदारी कृषि भूमि पर उक्त अविभक्त संयुक्त हिन्दू परिवार का कब्जा काश्त मौके पर उक्त कृषि भूमि ही सायला के व गैरसायल संख्या 3 से 10 के अविभक्त संयुक्त हिन्दू परिवार की मुख्य आजीविका का स्त्रोत है प्रतिवर्ष उक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्तसुदा खेत की फसल आय से सायला का अविभक्त संयुक्त हिन्दू परिवार अपना जीवन निर्वाह करता है तथा सायला व गैरसायल संख्या 2 से 10 की संयुक्त हिन्दू परिवार की अविभाजित पैतृक व पुश्तैनी सम्पति है उक्त आराजी में सायला का हित निहित है। इस प्रकार समस्त भूमि में सायला का 1/10 हिस्सा, गैरसायल संख्या 2 का 1/10 हिस्सा, गैरसायल संख्या 3 से 10 प्रत्येक का 1/10, 1/10 वां हिस्सा विधि अनुसार बनता है। जमाबंदी में मात्र गैरसायल संख्या 2 बाबू का नाम दर्ज करने व उसके पश्चात गैरसायल संख्या 2 द्वारा बिना सायला की सहमति से गैरसायल संख्या 1 को गलत व गैर कानूनी आधार पर प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि में से खसरा नम्बर 126 रकबा 08-12 बीघा का बेचान दिनांक 06.01.2012 को तथा खसरा नम्बर 127 रकबा 15-02 बीघा का बेचान दिनांक 11.01.2012 को किया जो दोनो बेचाननामे सायला के हितों के विरुद्ध शून्य व बेअसर है तथाकथित बेचाननामे की फोटो प्रति प्रार्थना पत्र के साथ पेश है। गैरसायल संख्या 1 का समस्त भूमि पर अकेले का कोई विधिक अधिकार नहीं बनता है। गैरसायल संख्या 1 ऐसे गैरकानूनी बेचाननामे के आधार पर सामलाती भूमि में बिना बंटवाड़ा करवाये काबिज होने पर आमादा है तथा अपने म्यूटेशन भरवाने व जमाबंदी में अपना नाम इन्द्राज करवाने पर भी आमादा है तथा जबकि गैरसायल संख्या 1 अजनबी क्रेता है उसे शामलाती भूमि में बिना बंटवाड़ा करवाये काबिज होने तथा म्यूटेशन भरवाने का कोई विधिक अधिकार नही है। जबकि गैरसायल संख्या 1 ने दिनांक 18.07.2020 को सायला को [illegible]या धमकी देकर कहा कि तुम्हारा उक्त भूमि में कोई अधिकार [illegible] में भी तुम्हारा कोई नाम नहीं है, गैरसायल संख्या 2 [illegible] व अधिकार है व राजस्व रेकर्ड में नाम है। इस प्रकार हमने प्रति [illegible]या 2 बाबू से जमीन खरीद कर ली

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

है। इसलिए हम हमारे नाम म्यूटेशन भरवायेगे तथा भूमि पर कब्जा करेगे। गैरसायल संख्या 1 द्वारा अवैध व गैर कानूनी तथाकथित बेचान के आधार पर अपने नाम म्यूटेशन भरा लिया जाता है व कृषि भूमि पर काबिज होने में सफल हो जाता है तो सायला को अपने साम्पैतिक हक व अधिकारों से महरूम होना पड़ेगा तथा सायला को असीम हानि होगी। जिसका मूल्यांकन किसी कदर संभव नही होगा, ऐसी स्थिति में सायला द्वारा गैरसायलान के ऐसे दुष्कृत्यों का प्रबल विरोध किया जायेगा। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग होगी, इस प्रकार सुविधा का संतुलन सायला के पक्ष में है। गैरसायल संख्या 3 से 10 सायला के पारिवारिक सदस्य है जिनको बतौर गैरसायल परफोरमा पक्षकार बनाया गया है। समस्त तथ्यो परिस्थितियों व दस्तावेजात एवं मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टिया मामला बखुबी सायलान के पक्ष में प्रमाणित है गैरसायल संख्या 1 द्वारा अवैध व गैर कानूनी तथाकथित दोनो बेचाननामो के आधार पर अपने नाम म्यूटेशन भरा लिया जाता है व कृषि भूमि पर काबिज हो जाते है तो सायलान को अपने पैतृक व पुश्तैनी साम्पैतिक अधिकारो हको से महरूम होना पड़ेगा तथा सायलान को असीम हानि होगी। अतः प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थाई निषेधाज्ञा मय शपथ पत्र व दस्तावेजात के पेश कर निवेदन है कि अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायलान विरुद्ध गैरसायलान के इस आशय की जारी करावे कि प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में वर्णित भूमि का म्यूटेशन गैरसायल संख्या 1 के नाम भरने से रोका जावे तथा गैरसायल संख्या 1 को काबिज होने तथा काश्त करने से रोका जावे तथा गैरसायल संख्या 2 को अब नये सिरे से कोई रहन, बेचान व अन्य हस्तान्तरण करने से रोका जावे तथा सायलान अपने हक हिस्से अनुसार शामलाती भूमि का उपयोग/उपभोग करे व काश्त के मुतालिक कुल कार्य तो उसमें गैरसायलान व उनके अधिकृत प्रतिनिधि, पारिवारिक सदस्य, कारीगर, मजदूर, नौकर, चाकर, हाली एजेन्ट किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप व दखलंदाजी नही करे तथा मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाई रखी जावे ऐसा करने से जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा के गैरसायलान को प्रार्थना पत्र के अंतिम निर्णय तक रोका जावे इस आशय का अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय बहक सायल विरुद्ध गैरसायलान के सादिर फरमावे।

इस पर प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गैरसायलन को जरिये नोटिस के तलब किये गये। गैरसायल संख्या 1 से 12 को बार–बार रूक–रूक कर आवाजें दिलाई गई, बावजूद सम्मन/नोटिस सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

बहस वकील वादीया राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 पर सुनी गई। हमनें विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीया की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं विधिक प्रास्थिति के आधार पर प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन इस प्रकार है:–

1. **प्रथम दृष्टया मामला:–** प्रार्थी [illegible] के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा वादग्रस्त आराजी के पैतृक पुश्तैनी होने के आधार पर वाद बाबत्

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 दर्ज करवाते हुए दौराने विचारण अस्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2036-39 ग्राम टूंकड़ा, खसरा नम्बर 126 रकबा 08-12 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 127 रकबा 15-02 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 129 रकबा 04-13 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 188 रकबा 11-05 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 193 रकबा 04-16 बीघा किस्म बारानी अव्वल के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीया के दादा (हस्तगत प्रार्थना-पत्र में अंकित वंशावली के आधार पर) धन्ना पुत्र किशना कौम कुम्हार के नाम दर्ज थी। उक्त जमाबंदी में अंकित नामान्तकरण के नोट के अनुसार "धन्ना के स्थान पर बाबू पुत्र धन्ना का नाम दर्ज किया गया" होना अंकित है। प्रार्थीया ने हस्तगत प्रार्थना-पत्र में यह कथन किये है कि प्रार्थीया के पिता प्रतिवादी संख्या 02 बाबू पुत्र धन्ना ने वादग्रस्त आराजी में से खसरा संख्या 126 व 127 प्रतिवादी संख्या 01 को बेचान कर दी है। प्रार्थीया के उक्त कथन पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत बेचाननामा की प्रतिलिपीयों से पुष्ट होते है। मूल वाद के अनुतोष के संबंध में गुणावगुण पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थना-पत्र में अंकित शपथ-पत्र, कथनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि पैतृक पुश्तैनी आराजी में संतान का जन्म से अधिकार निहित होता है। साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के अन्य खसरों के हस्तांतरण की संभावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। अतः हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में भली भांति साबित होता है।

2. **सुविधा का संतुलनः**- प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित हो चुका है। साथ ही पैतृक पुश्तैनी आराजी के संबंध में प्रत्येक संतान का जन्म से उसके हक-हिस्से तक सुविधा का संतुलन उसके पक्ष में निहित होना माना जाता है। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीया के पक्ष में साबित होता है।

3. **अपूरणीय क्षतिः-** प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष में स्थापित हो चुके है। पत्रावली पर उपलब्ध वादग्रस्त आराजी की जमाबंदी संवत् 2073-76 ग्राम टूंकडा के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 02 का नाम अभिलिखित है। साथ ही प्रार्थीया ने यह कथन किया है कि प्रार्थीया के पिता अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा वादग्रस्त आराजी के कुछ खसरे यथा खसरा नम्बर 126 व खसरा नम्बर 127 का बेचान अजनबी क्रेता अप्रार्थी संख्या 01 को कर दिया है। प्रार्थीया के उक्त कथन पत्रावली पर उपलब्ध पंजीकृत बेचान[illegible] की प्रतियों से पुष्ट होते है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी के [illegible] खसरों का किसी अन्य को हस्तान्तरण करने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। प्रार्थीया द्वारा वादग्रस्त आराजी में जन्म से निहित अपने [illegible]दारी अधिकारों की घोषणा हेतु दावा

Signature Not Verified
Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:33 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रैक) जैतारण (पाली)

प्रस्तुत किया है। अतः वाद के निस्तारण तक यदि वादग्रस्त आराजी के रहन, बेचान व हस्तांतरण को निषिद्ध करने हेतु प्रार्थीया के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती है तो प्रकरण में अनावश्यक जटिलता एवं प्रार्थीया को सुगम न्याय निर्णयन में अहितकारी विलंब होगा जिससे अपूरणीय क्षति निश्चित ही प्रार्थीया को होगी। अतः यह बिन्दू भी प्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा यह विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में अप्रार्थीगण को ताफैसला वाद रहन, बेचान व हस्तान्तरण न करने हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से निरूद्ध किया जाना विधि संगत एवं आवश्यक है।

–:: आदेश ::–

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थीया अंतर्गत धारा 212, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 एवं सपठित धारा 151 सी.पी.सी. वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा बखूबी साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह ताफैसला वाद वादग्रस्त आराजी राजस्व मौजा सरहद मौजा टूंकडा, पटवारी हल्का टूंकडा, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बलाड़ा, तहसील जैतारण, जिला पाली राजस्थान के खसरा नम्बर 126 रकबा 08–12 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 127 रकबा 15–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 129 रकबा 04–13 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 188 रकबा 11–05 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 193 रकबा 04–16 बीघा किस्म बारानी अव्वल कुल खसरा 05 कुल रकबा 44–08 बीघा की आई हुई है। जिसमें खसरा नम्बर 126 रकबा 08–12 बीघा किस्म बारानी अव्वल, खसरा नम्बर 127 रकबा 15–02 बीघा किस्म बारानी अव्वल का रहन, बेचान व हस्तान्तरण नहीं करें तथा वर्तमान भू–अभिलेख में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं करें। पत्रावली इसी माफिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर दाखिल दाखिल दफ़्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली) राज०

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)
जैतारण जिला–पाली(राज.)

निर्णय आज दिनॉक 21/12/2021 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रेक,
(फास्ट ट्रेक) जैतारण (पाली)
जैतारण जिला–पाली(राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Madhulika Seenver
Date: 2022.01.20 17:03:33 IST
Reason: SelfAttested